छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-11

नवा रायपुर अटल नगर, सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

2. बहिर्गमन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा अमानक चावल की खरीदी संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

3. प्रश्नकाल (क्रमश:)

प्रश्नकाल में पुन: चर्चा प्रारंभ होने पर प्रश्न संख्या- 04, 05, 07 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

4. बहिर्गमन

बिलासपुर जिले में ई.के.वाय.सी. प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण खाद्यान आवंटन पर रोक संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर के विरोध में नेता प्रतिपक्ष,

डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

तारांकित प्रश्न संख्या 06 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती शेषराज हरवंश अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 67 तारांकित एवं 88 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

5. माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना

माननीय सभापति ने सूचित किया कि- "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29.12.2025 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है :-

"छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2006 को पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया।

इस संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 17.03.2013-Judl.&PP, दिनांक 17.09.2025 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय को प्राप्त हुआ है कि विधेयक की तीन प्रमाणिक प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतद् द्वारा वापस की जा रही है ।

अत: विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)" लौटाया जाता है।

माननीय सभापति के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा ने **"छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006)"** विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में पटल पर रखा।

6. स्थगन प्रस्ताव

सर्वश्री भूपेश बघेल, विक्रम मण्डावी, उमेश पटेल, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कवासी लखमा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लखेश्वर बघेल, कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, सदस्यों एवं डॉ.चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष की ओर से जिला बीजापुर के गंगालूर में संचालित पोर्टा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में अध्ययनरत एवं निवासरत तीन नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने के संबंध में ध्यानाकर्षित करते हुए, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गई।

श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा इस पर वक्तव्य दिया गया।

(माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय सभापति ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी)

7. बहिर्गमन

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

9. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्यों हेतु विधानसभा भवन के सी-ब्लॉक के कक्ष क्रमांक सी-08 स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 17 से 19 मार्च, 2026 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 के मध्य शिविर का लाभ लेवें।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य ने छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में अनियमितता किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गजेन्द्र यादव, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य ने प्रदेश में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

11. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री रामकुमार यादव
3. श्री द्वारिकाधीश यादव
4. श्री रिकेश सेन
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
3. श्री अटल श्रीवास्तव

सोमवार, 16 मार्च, 2026

13. सदन को सूचना

मानननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- रजत जयंती वर्ष 2025 की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाये रखने के उद्देश्य से षष्ठम् छत्तीसगढ़ विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को नवीन विधान सभा भवन की प्रतिकृति खानेदार आलमारी के माध्यम से वितरित की जा रही है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया, सूचना शाखा से अपने स्मृति चिन्ह अवश्य प्राप्त कर लें।

14. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-15, अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित मांग संख्या-49, अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या- 53, अनुसूचित जाति उपयोजना से संबंधित मांग संख्या-64, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या-47, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-47 पर सर्वश्री दलेश्वर साहू, दिलीप लहरिया, द्वारिकाधीश यादव, **मांग संख्या-49** पर श्री दिलीप लहरिया के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री दिलीप लहरिया सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

15. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- छत्तीसगढ़ से राज्य सभा के लिए नव-निर्वाचित सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

सोमवार, 16 मार्च, 2026

16. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सर्वश्री सुशांत शुक्ला, धर्मजीत सिंह, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री प्रेमचंद पटेल

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सर्वश्री दीपेश साहू, जनक ध्रुव, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री ईश्वर साहू, अनुज शर्मा, रोहित साहू, इन्द्र कुमार साहू, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, अटल श्रीवास्तव, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित मांग संख्या-10, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या- 17, राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या-28, परिवहन से संबंधित मांग संख्या- 36, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-10 पर श्री कवासी लखमा, श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-17** पर श्रीमती शेषराज हरवंश, **मांग संख्या-36** पर श्री लखेश्वर बघेल के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री विक्रम मण्डावी सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अजय चन्द्राकर

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सोमवार, 16 मार्च, 2026

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रम 05 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

सर्वश्री प्रबोध मिंज, चैतराम अटामी, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री रिकेश सेन, श्रीमती रायमुनी भगत, सर्वश्री दिलीप लहरिया, ललित चन्द्राकर, दीपेश साहू, ईश्वर साहू, प्रणव मरपची, रामकुमार टोप्पो, भूलन सिंह मराबी, रोहित साहू, रामकुमार यादव, नीलकण्ठ टेकाम, ब्यास कश्यप, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, श्री मोतीलाल साहू

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत ने अनुरोध किया कि दलीय कार्यक्रमों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य कल माननीय मुख्यमंत्री के विभागों पर होने वाली चर्चा में भाग नहीं ले सकेंगे। अत: यह चर्चा कल के पश्चात् आगामी दिवस में रखी जाए।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने दलीय कार्यक्रम उपरांत उपस्थित होने का अनुरोध किया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की दैनिक कार्यसूची के पद क्रम 05 (3) का कार्य आगामी दिवस में लिया जाएगा)

(रात्रि 9.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा